न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 41/2017 निर्णय दिनांक :–27.10.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

कैलाश पुत्र लादूलाल जाति ब्रहामण निवासी थांवला हाल मु0 देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादी –

दावा उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
धारा 88, 209 आरटीएक्ट

उपस्थितिः–
श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज धारा 88ए 209 आरटीएक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा न0 291 रकबा 1.68 है0 वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत 2046, नकल जमाबन्दी सम्वत 2051––2054 वादी की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2051 – 2054 की जमाबन्दी में वादी की भूमि खसरा नम्बर नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 दर्ज है, जो सही है। उक्त जमाबन्दी के बाद बनने वाली रोटेशन जमाबन्दी सम्वत 2055 – 2058 में वादी की खातेदारी की भूमि का रकबे का इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटिवश व बिना विधिक आदेश के वादी की खातेदारी की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0, मे से 0.75 है0 भूमि का रकबा कम किया जाकर उक्त रकबे का इन्द्राज राजकीय भूमि में दर्ज कर दिया है। जिस पर आज भी वादी का कब्जा काश्त है तथा पेनेल्टी भी वादी के नाम आती है जो वादी लगातार जमा करवाता आ रहा है। तथा वादी की खातेदारी में 0.93 है0 का रकबा इन्द्राज कर दिया अर्थात राजस्व कर्मचारियों की गलती व त्रुटि के बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी की भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 भूमि मिन खसरा नम्बर बनाते हुए वादी की खातेदारी में रकबा 1.68 है0 में से 0.75 है0 भूमि राजकीय भूमि तथा 0.93 है0 भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। तथा जमाबन्दी सम्वत 2055 – 2058 के बाद बनने वाली जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 में उक्त राजकीय भूमि का खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 तथा वादी की खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 4214/291 रकबा 0.93 है0 इन्द्राज कर दिया और आगे बनने वाली जमाबन्दीयों में भी इसी प्रकार इन्द्राज होता रहा है जबकि वादी का उक्त भूमि का पूरा रकबा 1.68 है0 पर काबिज काश्त है तथा राजस्व नक्शा सीट में भी आज भी पूरा रकबा 1.68 है0 की तरमीम है। वादी की कम की गई भूमि जो राजकीय भूमि दर्ज की गई खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 व वादी की खातेदारी में शेष रही भूमि खसरा नम्बर 4214/291 रकबा 0.93 है0 भूमि के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में पटवार हल्का थांवला में अलग से नया राजस्व गांव घोषित होने से उक्त राजकीय

भूमि का खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 के नये खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 के नये खसरा नम्बर 5 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम थांवला बनाये गये है। राजस्व कर्मचारियों की गलती व त्रुटि वश व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी की खातेदारी की भूमि में से रकबा कम करके राजकीय भूमि दर्ज किये गये खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 के हाल नये खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 भूमि पर उद्घोषणा की जाकर पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण हाल ही उत्पन्न हुआ जब वादी ने उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की खातेदारी की भूमि के कम किये गये रकबे की दुरूस्ती हेतु आवेदन किया तो दुरूस्ती नही किये जाने से यह वाद पत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजी ग्राम थांवला तहसील देवली में स्थित होने से श्रीमान् के क्षेत्राधिकारी में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीएक्ट के तहत उचित कार्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री किया जावे कि:–

अ– आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 वाके तन ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजकीय भूमि पर उद्घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 में वादी की खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती इन्द्राज की जावें।

ब– अन्य सहायता जो वादी के हित में हो धारा 209 आटीएक्ट के तहत प्रदान की जावें।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:– बिन्दु संख्या 1 जिस प्रकार तहरीर किया गया है अस्वीकार है ग्राम थांवला की जमाबन्दी सम्वत 2051–2054 में खसरा नम्बर 291 रकबा 0.93 है0 कैलाश पुत्र लादूलाल जाति ब्रहामण सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। बिन्दु संख्या 2 अस्वीकार है ना.स. 471 दिनांक 1.07.1996 द्वारा ACM सा0 टोंक के आदेशानुसार खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 मे से 0.75 है0 रकबा सिवायचक दर्ज किया गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है। बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 5 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 6,7,8 न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 8 का (अ) व (ब) अस्वीकार है।

राजस्व रिकार्ड मे रदोबद्दल मुताबिक सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार किया गया है। अतः दावा खारिज योग्य है।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 स्वयं वादी कैलाश पुत्र लादूलाल जाति ब्राहमण निवासी थांवला तहसील देवली का पेश कर प्रदर्श दिनांक 14.12.2017 को करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 भू–प्रबन्ध की नकल खतोनी जमाबंदी सम्वत् 2046–65, प्रदर्श–2 नामातंकरण। प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2046 खाता संख्या 548, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2051–54 खाता संख्या 65, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 55, प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2059–62 खाता संख्या 63, प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 55, प्रदर्श–8 जमाबंदी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 66, प्रदर्श–9 मिलान क्षेत्रफल राजस्व ग्राम श्रीनगर व भगवानपुरा व गोविन्दपुरा बनने के बाद

का मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 58, प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072, प्रदर्श–12 हाल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर हाल 5, प्रदर्श –13 जमाबंदी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 1 ख0न0 4 एवं फोटो प्रतिया जमाबंदी सम्वत् 2059–62, खसरा नम्बर 291 फोटो प्रति नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 291, छायाप्रति धारा 91 नोटिस खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 सम्वत्2057,59,61 फोटो प्रति पेनल्टी रसीदे तहसील देवली का प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति दिनांक 21.09.2004 पेश किये जिससे मेरा दावा पूर्णतया साबित हो। डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जिरह नहीं करना जाहिर किया।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर किया।

प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों की गलती व त्रुटि के बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी की भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 भूमि मिन खसरा नम्बर बनाते हुए वादी की खातेदारी में रकबा 1.68 है0 में से 0.75 है0 भूमि राजकीय भूमि तथा 0.93 है0 भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। तथा जमाबन्दी सम्वत 2055 – 2058 के बाद बनने वाली जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 में उक्त राजकीय भूमि का खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 तथा वादी की खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 4214/291 रकबा 0.93 है0 इन्द्राज कर दिया और आगे बनने वाली जमाबन्दियो में भी इसी प्रकार इन्द्राज होता रहा है जबकि वादी का उक्त भूमि का पूरा रकबा 1.68 है0 पर काबिज काश्त है तथा राजस्व नक्शा सीट में भी आज भी पूरा रकबा 1.68 है0 की तरमीम है। वादी की कम की गई भूमि जो राजकीय भूमि दर्ज की गई खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 व वादी की खातेदारी में शेष रही भूमि खसरा नम्बर 4214/291 रकबा 0.93 है0 भूमि के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में पटवार हल्का थांवला में अलग से नया राजस्व गांव घोषित होने से उक्त राजकीय भूमि का खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 के नये खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 के नये खसरा नम्बर 5 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम थांवला बनाये गये है। राजस्व कर्मचारियों की गलती व त्रुटि वश व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी की खातेदारी की भूमि में से रकबा कम करके राजकीय भूमि दर्ज किये गये खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 के हाल नये खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 भूमि पर उद्घोषणा की जाकर पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। अतः वाद वादी डिक्री स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो का दोहरान किया।

तनकीवार निर्णयः–

1. आया वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम थांवला की जमाबंदी 2055–58 के खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 को रोटेशन जमाबदी 2059–62 में मिन खसरा नम्बर बनाते हुए खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 के हाल खसरा नम्बर 4 राजकीय तथा खसरा नम्बर 4214/291 रकबा 0.93 है0 के हाल खसरा नम्बर 5 भूमि वादी की खातेदारी भूमि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से कर दी गई है। –वादी–

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम थांवला की जमाबंदी 2055–58 के खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 को रोटेशन जमाबदी 2059–62 में मिन खसरा नम्बर बनाते हुए खसरा नम्बर 291 रकबा 0.75 है0 के हाल खसरा नम्बर 4 राजकीय तथा खसरा नम्बर 4214/291 रकबा 0.93 है0 के हाल खसरा नम्बर 5 भूमि वादी की खातेदारी भूमि ACM सा0 टोंक के आदेशानुसार ना.स. 471 दिनांक 1.07.1996 द्वारा खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 मे से 0.75 है0 रकबा सिवायचक दर्ज किया गया है।

उक्त राजस्व रिकॉर्ड का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 मे से 0.75 है0 रकबा सिवायचक ACM सा0 टोंक के आदेशानुसार दर्ज किया गया है।

अतः यह तनकी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया वादी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवाने का अधिकारी है –वादी–**

तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार तनकी नं. 2 का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

3. आया प्रतिवादी खसरा नम्बर 291 रकबा 1.68 है0 में से 0.75 है0 राजकीय भूमि न्यायालय ए.सी.एम. टोंक के आदेश से किये गये है अतः वादी का वाद खारी योग्य है

इस_तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी नं. 1,2 के निर्णय अनुसार तनकी नं. 3 का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

तनकीवार निर्णय तनकी न0 1 से 3 विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो चुके है। आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 वाके तन ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजकीय भूमि पर उदघोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 4 रकबा 0.75 है0 में वादी की खातेदारी/काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती इन्द्राज किये जाने बाबत् **पेश वाद वादी खारीज/अस्वीकार किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 27.10.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली